न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
24/2019	05/08/2019	02.02.2026

रामनारायण पुत्र मेघा जाति मीणा उम्र 60 साल, जाति मीणा निवासी खेडली बेरीसाल तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज,

प्रार्थी

बनाम

1– बद्रीलाल पुत्र मेघा जाति मीणा निवासी खेडली बेरीसाल तह. पीपल्दा–कोटा
2– सुन्दरबाई पुत्री मेघा पत्नी मन्नालाल जाति मीणा निवासी खेडली बेरीसाल हाल निवास बम्बूलियाकलों तहसील पीपल्दा–कोटा
3– छोटीबाई पुत्री मेघा पत्नी कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी खेडली बेरीसाल हाल निवास राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
4–मुरली पुत्री मेघा पत्नी स्व. ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी खेडली बेरीसाल तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
5–फूलाबाई पुत्री मेघा, पत्नी लक्ष्मीनारायण (मृतक कायम मुकाम वारिसान) जाति मीणा निवासी डोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
5/1–हंसराज पुत्र फूलाबाई
5/2–लेखराज पुत्र फूलाबाई
5/3–प्रकाश पुत्र फूलाबाई
5/4–मोहम्मद कुमार पुत्र फूलाबाई
5/5–दिलीप कुमार पुत्र फूलाबाई जातियान मीणा निवासीगण डोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
5/6–सीमाबाई पुत्री फूलाबाई पत्नी सुरेश जाति मीणा निवासी राजपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा राज,
5/7–ममताबाई पुत्री फुलाबाई पत्नी जोधराज जाति मीणा निवासी गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
5/8–शांतीबाई पुत्री फूलाबाई पत्नी नरेश जाति मीणा निवासी पीपल्दा– रामगढ़ तहसील किशनगंज जिला बॉरा राज.
5/9–फोरयाबाई पुत्री फूलाबाई पत्नी कृष्ण मुरारी जाति मीणा निवासी लोडक्या की झोपडिया तहसील किशनगंज जिला बॉरा राज,
5/10–रेणूबाई पुत्री फूलाबाई जाति मीणा निवासी डोली तहसील पीपल्दा
6–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।
अप्रार्थीक्रम 1 ता 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हेमन्त शर्मा एड0।
अप्रार्थी क्रम 5 ता 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेडली बेरीसाल पटवार सर्किल जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खाता संख्या 118 जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में खसरा संख्या 88 की रकबा 1.51 है खसरा नम्बर 103 की 1.04 हैक्टर ख.न. 494 की 0.10 है. ख.न. 622 की 0.58 है.ख.न. 678 की 0.58 हैक्टर ख.न. 873/139 रकबा की 1.05 हैक्टर ख.न. 919/700 की 0.08 हैक्टर ख.न. 930/80 रकबा 0.82 हैक्टर कुल किता 8 रकबा 5.76 हैक्टर भूमि स्थित है। उपरोक्त आराजी प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के सयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त आराजी पुश्तेनी आराजी है जो विरासतन प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण कों उनके पिता मेघा सें उनकी मृत्यु के बाद प्राप्त हुई है आगे प्रार्थना पत्र में उपरोक्त आराजी को विवादग्रस्त आराजी कहा गया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 की जाति मीणा है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के है, अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी का भाई अप्रार्थी कम 2 ता 4 बहिन है तथा अप्रार्थी कम 5 फूलाबाई की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिसान प्रार्थी की

बहिन के पुत्र व पुत्रिया है मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है पक्षकारान पुराने हिन्दू लॉ से शासित होते है जिसके तहत विधवा महिला को जीवनकाल मे विवादित भूमि का उपयोग एवं उपभोग करने का सिमित अधिकार है तथा पुत्रियो को पुरूष वारिस होने पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है मीणा जाति में विधवा महिला व पुत्रिया को विवादित आराजी को रहन, बैचान, दान, वसीयत, रिलिज डीड या अन्य किसी प्रकार से उसको हस्तान्तरण करने का अधिकार प्राप्त नही है इस प्रकार विवादित आराजी मे अप्रार्थी कम 2 ता 5 का कोई अधिकार नहीं है। क्योकि मेघा के प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 पुरूष वारिस है पुरूष वारिस होने के नाते वही विवादित आराजी मे बराबर–बराबर सम्पति प्राप्त करने के अधिकारी है पुत्रियो को कोई अधिकार विवादित आराजी पर हासिल नही है विवादित आराजी मे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है व अप्रार्थी कम 1 का 1/2 हिस्सा है। उक्त विवादित आराजी पैतृक भूमि है जो विरासतन मेघा जी से प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 5 को प्राप्त हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 के मध्य आज से 30 साल पहले मौखिक बंटवारा 1/2–1/2 विवादित आराजी का हो रहा था, प्रार्थी व अप्रार्थी कम उक्त बंटवारे के अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है प्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 1.51 हैक्टर ख.न. 622 की 0.58 हेक्टर ख.न. 919/700 रकबा 0.08 हैक्टर पर तथा शेष अन्य खसरा नम्बरान पर अपने हिस्से में आई आराजी पर काबिज है। प्रार्थी ने अपने हिस्से आराजी में आई विवादग्रस्त भूमि पर काफी रूपया पैसा खर्च किया तथा उसे कृषि योग्य बनाया अब अप्रार्थी की नियत मे बध्यान्ति आ गई और प्रार्थी को परेशान करने लगे झूठी रिपोर्ट पुलिस थाना खातौली मे करने लगे और कहने लगे कि प्रार्थी का 1/6–1/6 हिस्सा है ज्यादा भूमि पर काश्त कर रहा है इसको हम अप्रार्थीगण काश्त नहीं करने देगे। अप्रार्थी कम 2 लगायत 5 का विवादित आराजी पर नाम होने सें अप्रार्थी कम 1 इनको भडकाकर वाद विवाद उत्पन्न कर रहा है तथा प्रार्थी के शांति पूर्ण कब्जे काश्त में विवाद उत्पन्न करने लगा है। जिस कारण प्रार्थी के लिए काश्त करना दुर्भर हो गया है अप्रार्थीगण बिना बंटवारा करायें व अप्रार्थी कम 2 लगायत 5 का गैर कानूनी तरीके से दर्ज हुये नाम पर विवादित आराजी पर नाम होने से वह विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे है तथा प्रार्थी कों धमकी दे रहे है कि प्रार्थी का विवादित आराजी पर 1/2–1/2 हिस्सा नही है उसका 1/6 हिस्सा है और 1/6 हिस्से के मुताबिक ही काश्त करने देगे शेष आराजी को जबरन अपने अधिकार मे लेकर खुर्द–बुर्द करेगे प्रार्थी को 1/2 हिस्से पर काश्त नही करने देगे। प्रार्थी, अप्रार्थीगण का कुछ नहीं कर सकता प्रार्थी को यह कानूनी अधिकार हासिल है कि वह विवादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी कम 2 लगायत 5 का नाम खाते से हटायें और विवादित आराजी में अपने 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करावें और अपने 1/2 हिस्से की आराजी का बंटवारा करावें और बंटवारे मे प्राप्त आराजी पर अप्रार्थीगण कों अस्थायी निषेधाज्ञा सें प्रार्थी के उपयोग एवं उपभोग में बाधा पहुंचाने से रोके इस कारण प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय श्रीमान मे प्रार्थना पत्र घोषणा खातेदारी बंटवारा व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करे। दिनांक 20.7.019 को अप्रार्थीगण में प्रार्थी को धमकी दी कि वह विवादित आराजी कें 1/2 हिस्से पर काश्त नही करने देगे विवादित आराजी में जो हिस्सा बनेगा उसी पर ही काश्त करने देगे यदि प्रार्थी नें विवादित आराजी कें 1/2 हिस्से पर जो पूर्व मे बंटवारा हुआ उस पर काश्त की तों फसल को नष्ट कर देगे प्रतिवादीगण रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्से की आराजी को खुर्द–बुर्द करेगे प्रार्थी के पास अप्रार्थीगण के अवैध व गैर कानूनी कृत्य को रोकने के लिए कोई चारा नहीं बचा है। अप्रार्थीगण कों ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है और प्रार्थी को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थी कम 2 लगायत 5 का नाम विवादित आराजी मे दर्ज राजस्व रिकार्ड से हटावें और विवादित आराजी में 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करावें और प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 के मध्य हुये बंटवारे के अनुसार भूमि कों बंटवारे में प्राप्त करें और न्यायालय से अपने 1/2 हिस्से की घोषणा करवाकर पृथक से खातेदारी मे दर्ज करवाकर पृथक से लगान कायम करवावें प्रार्थी के कब्जे काश्त में आई विवादित आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 1.51 हैक्टर ख.न. 622 की 0.58 हेक्टर ख.न. 919/700 रकबा 0.08 हैक्टर व अन्य खसरा नम्बरान में प्राप्त अपने हिस्से आराजी पर अप्रार्थीगण को मदाखलत व मजाहमत करने से रोके इस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस पूर्ण रूप से साबित है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होनी है यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो अप्रार्थी कम 2 ता 5 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी कें खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी

को किसी दिगर व्यक्ति कों रहन, बैचान, दान, वसीयत, आदि कर देगे जिससे प्रार्थी को अनेको बाद विवादो मे उलझना पडेगा जिस कारण प्रार्थी रूपयो पैसो से बर्बाद हो जायेगा जिसका मुद्रा मे मूल्याकन किया जाना सम्भव नही होगा। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र की गद नम्बर 2 में वर्णित विवादग्रस्त आराजी ग्राम खेडली बेरीसाल पटवार सर्किल जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खाता संख्या 118 जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में खसरा नम्बर 88 रकबा 1.51 हैक्टर ख. न. 622 की 0.58 हेक्टर ख.न. 919/700 रकबा 0.08 हैक्टर जिस पर प्रार्थी काविज काश्त है तथा शेष विवादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर जिस पर प्रार्थी काविज काश्त है उसे अप्रार्थीगण किसी दिगर व्यक्ति को रहन, बैचान, दान, वसीयत आदि नही करे, ओर प्रार्थी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजहामत न तो स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

पार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 ता 4 की ओर से हेमन्त शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जवाव में काफी अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभयपक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। राजस्व अभिलेख के अवलोकन तथा प्रार्थना पत्र के अनुतोष से हस्तगत प्रकरण सहदायिकी सम्पत्ति के इन्द्राज दुरूस्ती तथा विभाजन का प्रतीत होता है। प्रार्थी व अप्रार्थी अभिलिखित खातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से दोनों पक्षों के पक्ष में बनता है। दौराने वाद विवादित सम्पत्ति के रहन, बेचान, वसीयत, दान इत्यादि के माध्यम से अंतरण या खुर्द–बुर्द होने के प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। प्रथम दृष्टया मामला होने व अपूरणीय क्षति होना संभावित होने के कारण विवादित सम्पत्ति की प्रकृति तथा स्थिति का संरक्षण आवश्यक है। वाद के दौरान विक्रय से नये पक्षकारों के आने से बंटवारे के दावे में अनावश्यक विलम्ब व जटिलता में वृद्धि होगी। अगर पक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को भारी असुविधा होगी इसलिए सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम खेडली बेरीसाल पटवार सर्किल जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खसरा संख्या 88 की रकबा 1.51 है खसरा नम्बर 103 की 1.04 हैक्टर ख.न. 494 की 0.10 है. ख.न. 622 की 0.58 है.ख.न. 678 की 0.58 हैक्टर ख.न. 873/139 रकबा की 1.05 हैक्टर ख.न. 919/700 की 0.08 हैक्टर ख.न. 930/80 रकबा 0.82 हैक्टर कुल किता 8 रकबा 5.76 हैक्टर पर उभयपक्ष मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक बनाए रखे तथा विवादित भूमि को रहन, बैचान, दान, वसीयत के माध्यम से हस्तान्तरित नहीं करे तथा एक दूसरे के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में बाधा नहीं करे न ही अपने प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा